न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्या:– 12/40/2019

अपीलार्थी:–
रतन लाल पुत्र गिर्राज प्रसाद ग्राम पो0 दातियां तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::— दिनांक:– 18.06.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 22.03.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।

2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 04.06.2019 को उपस्थित आवें।

4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी दिनांक 18.06.19 को उपस्थित होकर प्रा0पत्र पेंश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 999 दिनांक 30.05.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.19 के माध्यम से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद के परिपेक्ष्य में 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी जिसके अनुक्रम में जरिये अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को यू.ओ. नोट क्रमांक 56 दिनांक 26.03.19 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने पर उनके पत्रांक 654 दिनांक 11.4.19 से प्राप्त सूचना, पत्रांक 648 दिनांक 15.4.19 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल दर्ज यूनिक क्रमांक 02190785123041 एवं 01190784984768 के संबंध जानकारी चाही है। अपीलार्थी को राजस्थान सम्पर्क की बेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध है एवं सिटीजन कॉल सेंटर सीमा हैल्पलाईन 181 पर फोन के माध्यम से शिकायत को दर्ज करने व उसकी सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है, के बाबत सूचना उपलब्ध कराई गई थी, जो अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं हुई। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल दर्ज यूनिक क्रमांक 02190785123041 एवं 01190784984768 प्रति बेबसाईट से प्रिटिंग निकलवा कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।

6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज **दिनांक** 18.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलेक्टर,अलवर
अलवर (राज0)